तत्काल जारी

सत्यमेव जयते

प्रेस संक्षेप

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

प्रेस संक्षेप

तत्काल जारी

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, मध्य प्रदेश शासन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन से संबंधित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 04.03.2021 को राज्य विधान सभा के पटल पर रखा गया।

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न प्रतिवेदन, आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ अनुपालन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गयाः

संसाधन संग्रहण

2018–19 के दौरान राज्य शासन ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यद्यपि यह उस वर्ष के लिए बजट में लक्षित सीमा को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके स्वयं की कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यतः माल एवं सेवा कर प्राप्तियों के कारण, के अलावा वर्ष 2018–19 के दौरान करेत्तर राजस्व में 31.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.4.1 (पृष्ठ क्रं. 4) में हैं

राज्य की राजकोषीय स्थिति

राज्य ने बजट आंकलन 2018–19, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन में निर्धारित तथा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का अनुपात के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.5.2 (पृष्ठ क्रं. 6–7) में हैं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) के कुल एकत्रित अंशदान में से राज्य शासन ने केवल ₹1,040.60 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के 11 कार्यालयों में वेतन तथा बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की गैर कटौती के प्रकरण परिलक्षित हुए।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.10.4.4 (पृष्ठ क्रं. 23–24) में हैं

.....निरंतर

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार, 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को निधि में ₹51.92 करोड़ (2017–18 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क की राशि ₹25.96 करोड़ एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान अंश) का अंशदान करना अपेक्षित था, किंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि का अंशदान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹51.92 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 1.12.2.2 (पृष्ठ क्र. 31) में हैं

बचतें

नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभागीय व्यय की जांच में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान राशि ₹50,472.50 करोड़ (21.18 प्रतिशत) की बचतें अप्रयुक्त रहीं।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.1 (पृष्ठ क्र. 37–38) में हैं

आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

राज्य शासन ने 2011–17 की अवधि से संबंधित 10 अनुदानों एवं आठ विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 639.70 करोड़ का नियमन नहीं किया। 2018–19 के दौरान, एक अनुदान एवं एक विनियोग के अंतर्गत ₹1,028.62 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकायें 2.3.1 (पृष्ठ क्र. 38–39) एवं 2.3.1.1 (पृष्ठ क्र. 39–40) में हैं

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा स्वीकार नहीं किए गए समर्पण आदेश

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम ने निधियों की समर्पण राशि ₹2,871.57 करोड़ के लिए 25 स्वीकृतियां स्वीकार नहीं की क्योंकि ये राज्य शासन द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं थीं।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.3.8.1 (पृष्ठ क्र. 45) में हैं

व्यय का गलत वर्गीकरण

2018–19 के दौरान सहायता अनुदानों में से व्यय ₹541.28 करोड़ एवं ₹742.37 करोड़ की राशि का अन्य व्यय (कुल ₹1,283.65 करोड़) राज्य शासन द्वारा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पुस्तांकित किए गए थे, जबकि इन्हें राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए था। पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए ₹207.94 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था, जो आई.जी.ए.एस.–2 के अनुसार लेखा के राजस्व शीर्ष से डेबिट किया जाना चाहिये।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.3.9 (पृष्ठ क्र. 46) में हैं

.....निरंतर

व्यक्तिगत जमा खातें और शासकीय धन को अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना

31 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश शासन के पास 731 व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में ₹3,938.48 करोड़ का अंतिम शेष था।

जिलाध्यक्ष, नरसिंहपुर, सतना एवं अशोक नगर ने भू–अर्जन से संबंधित राशि ₹13.78 करोड़ को 10 बैंक खातों में रखा था। धन की प्राप्ति भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध मुआवजे के भुगतान के लिए हुई थी और इसे व्यक्तिगत जमा खाता में रखा जाना चाहिए था।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकायें 3.2 एवं 3.2.2 (पृष्ठ क्रं. 51–52) में हैं

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर और आयकर अधिनियम का गैर–अनुपालन

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बैंक खातों में ₹1,777.75 करोड़ की राशि अवरूद्ध की थी। आगे, मण्डल उपलब्ध निधियों का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग कर सका तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की केवल 30 प्रतिशत कल्याण गतिविधियों को पूरा किया।

वित्त वर्ष 2012–19 से आयकर विवरणी ना भरने के कारण, मण्डल राशि ₹5.10 करोड़ की आयकर वापसी का दावा करने में विफल रहा है।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकायें 3.3.1, 3.3.2 (पृष्ठ क्रं. 53–55) एवं 3.3.5 (पृष्ठ क्रं. 56) में हैं

शासकीय लेखों में अपारदर्शिता–लघु शीर्ष 800 का परिचालन

मध्य प्रदेश शासन के विभागों ने लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन किया जिसे केवल असामान्य मामलों में ही परिचालित किया जाना है। 2018–19 के दौरान प्राप्तियों के अंतर्गत ₹34,831.64 करोड़ एवं व्यय के अंतर्गत ₹30,676.59 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेन–देनों में अपारदर्शिता रही।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.4 (पृष्ठ क्रं. 56–58) में हैं

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹14,470.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (20,278) प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.6 (पृष्ठ क्रं. 59–60) में हैं

उप महालेखाकार/ए.एम.जी.–V

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर

इन विषयों पर आगे किसी भी जानकारी के लिए, हमसे निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

कार्यालय के प्रवक्ता	श्री जितेन्द्र तिवारी, उप महालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
मो. न.	9650999855
प्रवक्ता की ई–मेल आईडी	tiwarij@cag.gov.in
कार्यालय की ई–मेल आईडी	agaumadhyapradesh1@cag.gov.in
वेबसाईट	https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi
फैक्स न.	0751-2631290